

2003-2004

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003

31 मार्च, 2004 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- | | |
|---|---|
| संक्षिप्त नाम | 1- यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2003 कहलायेगा। |
| उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2003-2004 के लिये रु0 18612333000 का दिया जाना | 2- ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ- 7 एवं 9 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम- 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या- सन् 2003) की अनुसूची के स्तम्भ- 8 एवं 10 में (निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) रुपया 18612333000 मात्र (रुपया एक हजार आठ सौ इकसठ करोड़ तेईस लाख तैतीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो। |
| विनियोग | 3- इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। |

31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हजार रुपये में)

1	2	कुल मांग				1 अप्रैल से 30 जून, 2003 हेतु आवश्यक धनराशि			
		राजस्व		पूँजी		राजस्व		पूँजी	
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
3	4	5	6	7	8	9	10		
01-विधान सभा	55628	5317	0	0	13907	1329	0	0	
02-राज्यपाल	0	16896	0	0	0	4224	0	0	
03-मंत्रि परिषद्	69151	0	0	0	17288	0	0	0	
04-न्याय प्रशासन	278582	73611	225000	0	69646	18403	56250	0	
05-निर्वाचन	61422	0	0	0	15356	0	0	0	
06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1291643	5967	250000	0	322911	1492	62500	0	
07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	7457104	7053055	282502	9353135	1864276	1763264	70626	2338284	
08-आबकारी	28203	0	10000	0	7051	0	2500	0	
09-लोक सेवा आयोग	0	21003	0	15000	0	5251	0	3750	
10-पुलिस एवं जेल	2620908	0	325800	0	655227	0	81450	0	
11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	11636759	0	494766	0	2909190	0	123692	0	
12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	2322877	400	481699	0	580719	100	120425	0	
13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	4159655	0	35001	0	1074834	0	8750	0	
14-सूचना	94755	0	0	0	23689	0	0	0	
15-कल्याण योजनायें	1502792	0	264185	0	375698	0	66046	0	

क्रमशः.....

31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हजार रुपये में)

(हजार रुपये में)

अनुदान / क्रम तथा उसका विवरण		कुल मांग				1 अप्रैल से 30 जून, 2003 हेतु आवश्यक धनराशि			
		राजस्व		पूंजी		राजस्व		पूंजी	
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16—श्रम और रोजगार		220642	0	0	0	55161	0	0	0
17—कृषि कर्म एवं अनुसंधान		2395706	3061	2236	0	613927	765	559	0
18—सहकारिता		105521	0	120050	0	26380	0	17513	0
19—ग्राम्य विकास		3625536	0	897001	0	906385	0	224251	0
20—सिंचाई एवं बाढ़		1443419	0	730011	0	360855	0	182503	0
21—ऊर्जा		2583802	500	3000127	0	645951	125	750032	0
22—लोक निर्माण कार्य		1686351	13517	2265878	0	421588	3379	566470	0
23—उद्योग		508337	0	250104	0	127084	0	62526	0
24—परिवहन		54944	0	420501	0	13736	0	127625	0
25—खाद्य		126672	0	2102	0	31668	0	526	0
26—पर्यटन		185170	0	240370	0	46293	0	60093	0
27—वन		2418322	1320	6600	0	604581	330	1650	0
28—पशुपालन संबंधी कार्य		395663	110	13173	0	98928	28	3293	0
योग :		47329564	7194757	10317106	9368135	11882329	1798690	2589280	2342034
राजस्व / पूंजी का कुल योग :		54524321		19685241		13681019		4931314	
महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग) :				74209562				18612333	